an>

Title: Regarding alleged incident of exploitation of girls in a hostel in Balram Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh.

श्री दहन मिश्रा (श्रावस्ती) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र के एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को शून्यकाल में सदन में रखने का अवसर प्रदान किया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत ही निन्दनीय, घृणित और शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर में प्रकाश में आई है। भारत सरकार की योजना के तहत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय संचालित हैं जिनमें गरीब बालिकाओं को नःशुल्क मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। वहाँ पर वर्षों से बालिकाओं के भोजन में नशीला पदार्थ खिलाकर उनके शोषण का सिलसिला चल रहा था। घटना 10-11 अप्रैल की रात की है। नशे की डोज़ शायद ज्यादा हो गई और कुछ बच्चियाँ बेहोश हो गईं। रात में वहाँ पर अराजक तत्व आते हैं। एक दर्जन अराजक तत्व वहाँ देखे गए। कुछ वयस्क बालिकाओं ने हंगामा शुरू कर दिया और चीख पुकार करते हुए वे गेट की तरफ भागीं। बजाय उनकी कोई सहायता करने के या उनकी बात सुनने के, गेट बंद कर दिया गया, उनको बाहर जाने से रोक दिया गया। बच्चियों के हंगामे को सुनकर जब सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए तो ग्रामीणों ने पुलिस और मीडिया को सूचना दी। पुलिस वहाँ बाद में पहुँची, पहले मीडिया पहुँची। बालिकाएँ चीख-चिल्ला रही थीं। उनकी मांग थी कि कोई महिला अधिकारी आए जिसके सामने वे अपनी बात रखेंगे कि यहाँ पढ़ाई को छोड़कर बहुत कुछ होता है। हम अपनी व्यथा उनके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन कोई महिला अधिकारी उनकी बात सुनने के लिए नहीं आई। उसकी सीडी भी मीडिया के लोगों ने बनाई है और अखबार की पूरी कतरनें भरी पड़ी हैं, इसको हमने पटल पर उपलब्ध भी कराया है। यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। इस घटना के चार दिन पहले वहाँ के चौकीदार की पत्नी की लाश कमरे की छत से लटकते हुए संदिग्ध अवस्था में पाई गई थी। उसको आत्महत्या का स्वरूप देकर लीपापोती कर दी गई थी। लेकिन जब इस घटना के दूसरे तीसरे दिन इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसकी गला दबाकर हत्या की गई थी। यह घटना भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि, वह वहां पर एकमात्र महिला थी, बाकी वहां पर सब पुरुष कर्मचारी तैनात हैं। वह महिला इनके दुष्कृत्यों का विरोध करती थी, इसलिए उसको मौत के घाट उतार दिया गया।

महोदय, इतनी संवेदनशील घटना पर केन्द्र सरकार संज्ञान लेकर कार्रवाई करे।...(व्यवधान)

14.25 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

HON. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Matters Under Rule 377.